Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 115 रायपुर, मंगलवार 19 मई 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

केन्द्रीय गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू

यूपी और एमपी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल

जगदलपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं. बैठक में छत्तीसगढ़ के बस्तर को विकास और शांति मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर रहेगा, इसके अलावा राज्यों की अपनी चुनौतियों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा.

राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद हुए हैं. इस बैठक में राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी. 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में शामिल हुए राज्यों के बीच आपसी समन्वय, कानून व्यवस्था, सीमा विवाद, जल संसाधन, परिवहन, बिजली और आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जा सकती है. विशेष तौर पर दशकों तक लाल आतंक से प्रभावित प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रणनीति और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर भी फोकस की संभावना है. आपको बता दें कि पिछली बार परिषद की बैठक 2025 के जून माह में वाराणसी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों से विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार आयोजित हो रही यह उच्च स्तरीय बैठक क्षेत्र के लिए गौरव और विश्वास का विषय है। कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक अंतरराज्यीय समन्वय को नई मजबूती प्रदान करेगी तथा विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बस्तर के निर्माण की दिशा में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी।

केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आप नेताओं को हाईकोर्ट का अवमानना-नोटिस

नई दिल्ली, 19 मई (न्यूज चैनल)। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई आप नेताओं को नोटिस जारी किया है. दरअसल इन नेताओं पर शराब नीति मामले की कार्यवाही के मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया अभियान चलाए जाने का आरोप है. दरअसल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई कर रही थीं. हालांकि अब वह खुद को इस मामले से अलग कर चुकी हैं. जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ अभियान चलाए जाने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन नेताओं को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता से जुड़े मामले में कार्रवाई

बता दें कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना ??का मामला दर्ज है. हाई कोर्ट इस मामले में एमिकस भी नियुक्त करेगा. एमिकस किसे नियुक्त किया गया है ये लिखित आदेश में खुलासा होगा. मामले की सुनवाई 4 अगस्त को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की बेंच करेगी. हाई कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से फैसला सुनाया. एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशन रिकॉर्ड के रूप में मौजूद सामग्री पर भरोसा जताया है.रजिस्ट्री इन सभी की प्रतियां सुरक्षित रखेगी और उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

जस्टिस स्वर्णकांता ने मामले से खुद को किया अलग

इससे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेताओं पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था. आदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि शराब नीति से जुड़े केस को अब दूसरी बेंच सुनेगी. लेकिन इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि रिक्यूजल की डिमांड की गई थी, इसलिए मैं ये केस छोड़ रही हूं. उन्होंने कहा था कि मैंने अवमानना कार्यवाही शुरू की है, इसलिए उचित यही होगा कि शराब नीति वाले मामले को

ब्रेकिंग न्यूज

आज जेल से बाहर आएंगे रिटायर्ड आईएएस टुटेजा

रायपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. कोर्ट ने लंबी कस्टडी अवधि और ट्रायल में हो रही देरी को राहत का आधार माना है. इस मामले में 80 से अधिक गवाहों के बयान अभी बाकी हैं. कोर्ट ने टुटेजा को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है. टुटेजा करीब 2 साल 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद मंगलवार देर शाम रिहा हो सकते हैं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. आरोपी गिरफ्तार आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई आदेश के अनुसार, अनिल टुटेजा जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य से बाहर रहेंगे और किसी भी सेवारत सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा, वह गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे. ईडी के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. ईडी का अनुमान है कि इस अवैध धंधे से करीब तीन हजार करोड़ रुपए की गैरकानूनी कमाई हुई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा.

अमेरिका में मस्जिद पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 5 की मौत

नई दिल्ली, 19 मई (न्यूज चैनल)। अमेरिका में मस्जिद पर हमला हुआ है। अमेरिका के सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में दो टीनएजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बाद में दोनों हमलावर गाड़ी के अंदर मरे हुए पाए गए। दोनों हमलावर की उम्र लगभग 17 और 19 वर्ष है। हमलावर जिस गाड़ी में हमलावर मृत मिले, उसके अंदर से इस्लाम विरोधी आर्टिकल मिले हैं। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें नस्लीय गौरव का जिक्र है। एफबीआई सैन डिएगो के स्पेशल एजेंट इन चार्ज मार्क रेमिली ने हमला पर कहा कि दो हमलावर (17 और 19 वर्ष) ने सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में हमला किया। इसमें 3 को मौत

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, सुप्रीम कोर्ट ने बीमार खतरनाक कुत्तों को मौत की सजा सुनाई है। चुहिया- हां जी, लेकिन कुत्तों से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होता है।

नार्वे में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान

नई दिल्ली, 19 मई (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नार्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1985 में राजा ओलाव पंचम ने की थी। यह पुरस्कार विदेशी और नॉर्वेजियन नागरिकों को नॉर्वे और मानवता के हित में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है- ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर, ऑफिसर और नाइट। नॉर्वे के शाही परिवार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राप्तकर्ता की पदोन्नति या मृत्यु की स्थिति में ऑर्डर का प्रतीक चिन्ह ऑर्डर की परिषद को लौटा दिया जाता है।

यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किए जाने के एक दिन बाद मिला है। यह सम्मान उन्हें द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने बाद में इस पुरस्कार के लिए स्वीडन सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह भारत और स्वीडन के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि यह सम्मान न केवल मेरे लिए, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। यह स्वीडन में हमारे सभी मित्रों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत-स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया है और उन्हें एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

बदला नागरिकता नियम

पाक, अफगान और बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता के लिए सरेंडर करना होगा पासपोर्ट

नई दिल्ली, 19 मई (न्यूज चैनल)। नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब अपने मूल देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट सौंपना होगा। मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

भारत ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता से संबंधित नियमों बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तय किया है कि इस तरह के आवेदन करने वालों के बारे में पहले से ठोस जांच-पड़ताल कर लेना जरूरी है। भारत ने भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन डालने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी

सरकारी राशि डकारने और आदेश की अनदेखी करने वाले 11 पूर्व सरपंच जाएंगे जेल

रायपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। अभनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से 30 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। यह आदेश उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन और उस राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश का अक्षरशः पालन न करने पर जारी किया गया है।

- नोटिस का नहीं दिया जवाब
- एसडीएम कोर्ट ने जारी किया आदेश

30 दिनों का जेल भेजने का आदेश जारी किए जाने के पहले उन सभी पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से मांग नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी चल/अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद संबंधित राशि चुकाने के लिए पर्याप्त साधन होने के बाद भी संबंधित पूर्व सरपंचों द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने में हीलाहवाली किया जा रहा था। इतना ही नहीं एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें उनके कृत्य के लिए क्यों न जेल भेजा जाए भी पूछा गया था, लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच ने नोटिस का संतोषजनक और वैधानिक उत्तर नहीं दिया। आखिरकार 18 मई को एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को 30 दिन या फिर जब तक वे संबंधित राशि जमा नहीं कर देते हैं, तब तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की तामिली करते हुए संबंधित पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी इस आशय का पत्र भेजा गया है । जिन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध इस आशय का आदेश जारी किया गया है उनमें सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंट) 1 लाख 96 हजार रुपए, गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रे) 80 हजार रुपए, गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए, तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रुपए, रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए, धनेवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए, सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए, धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए, राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए, तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए और सेवेंद्र

बीमार और खतरनाक कुत्तों को मौत की सजा मिलेगी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 19 मई (न्यूज चैनल)। आवारा कुत्तों पर देश के शीर्ष न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को सभी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश (2025 का) ही लागू रहेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर भी विचार करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने, उस पर अवमानना का केस चलाया जाए।

- डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आवारा कुत्तों पर फिलहाल सुनवाई बंद कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि वह 17 नवंबर को हर राज्य की कॉन्सायंस रिपोर्ट देखेगा। सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों के मामले में नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि उसके फैसले का सही से पालन नहीं किया गया। इसे वह कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखता है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। हम ऐसी स्थिति से आंखें नहीं मूंद सकते। उन्होंने कहा कि एमिनल वेलफेयर बोर्ड के स्कूल के खिलाफ सभी आवेदन हम खारिज कर रहे हैं। अदालत ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर पहले दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था। तब ऐसी स्थिति नहीं बनती। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हमारे 7 नवंबर, 2025 के आदेश का राज्यों ने सही से पालन नहीं किया। इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा।

बच्चों की मार्मिक दास्तान सुन हाईकोर्ट ने सौतेली बहन को सुपुर्दगी देने से किया इनकार

बिलासपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। बच्चों की मार्मिक कहानी सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने दोनों बच्चों को फिलहाल बाल संप्रेक्षण गृह में ही कड़े विधिक संरक्षण में रखने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मासूम बच्चों ने अपनी मर्मस्पर्शी व्यथा सुनाई। बच्चों ने कोर्ट से कहा कि हम बंदी नहीं हैं, बल्कि बाल संप्रेक्षण गृह में पूरी तरह सुरक्षित हैं। याचिकाकर्ता के पति ने बच्चों के साथ तीन बार दुष्कर्म किया था। बच्चों के इस चौंकाने वाले बयान और विधिक तथ्यों की पुष्टि के बाद कोर्ट ने आदेश दिया।

दरअसल, सरगुजा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग सौतेली बहन और भाई को कुछ लोगों ने अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा है। याचिकाकर्ता महिला ने बच्चों को अपने साथ रखने की मांग करते हुए उनकी सुरक्षा करने वाली एक समाज सेविका, महिला एवं बाल संप्रेक्षण गृह के अधिकारियों सहित अन्य को पक्षकार बनाया था।

मासूम बच्चे बोले- हम बंदी नहीं, बाल संप्रेक्षण गृह में पूरी तरह हैं सुरक्षित

चीफ जस्टिस की डीबी में मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि बच्चों को बंदी नहीं बनाया गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा और विधिक संरक्षण के दृष्टिगत उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। इस पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने बच्चों को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बच्चों ने कोर्ट के निर्देशानुसार, पुलिस सुरक्षा में दोनों बच्चों को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भाई-बहन ने कोर्ट में बताई पूरी सच्चाई- न्यायालय के समक्ष दोनों भाई-बहन ने पूरी सच्चाई बताई। बच्चों ने बताया कि याचिकाकर्ता सौतेली बहन के पति ने नाबालिग बच्ची से तीन बार दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इस गंभीर अपराध की प्राथमिकी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा चुकी है और आरोपी फरार है। कोर्ट ने मासूम बच्चों द्वारा दी गई इस बेहद गंभीर जानकारी को प्रशासनिक और विधिक स्तर पर तत्काल सत्यापित कराया। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की नीयत को भांपते हुए बच्चों को उसकी सुपुर्दगी में देने से साफ इंकार कर दिया और उन्हें संप्रेक्षण गृह में ही रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले के समस्त विधिक तथ्यों को रिकार्ड पर लेते हुए प्रतिवादी समाज सेविका को अपना पक्ष व जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की गई है।

जंगली सुअर के मांस की अवैध बिक्री परवन विभाग ने छापेमारी कर 14 किलो मांस किया जब्त

बिलासपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण, शिकार और उत्खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक प्रेमकुमार के निर्देश पर प्रदेश के सभी परियोजना मंडलों में नियमित गश्त और निगरानी की जा रही है। इसका सकारात्मक असर वन सुरक्षा पर दिखाई दे रहा है।

कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर के परिक्षेत्र भैंसाझार अंतर्गत रतनपुर के जुनाशहर क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली सुअर के मांस की अवैध बिक्री का मामला पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल 17 मई को वार्ड क्रमांक 15, जुनाशहर निवासी सूरज मरावी के घर पर दबिश दी गई। तलाशी वारंट जारी होने के बाद वन विभाग, पुलिस बल, स्थानीय पार्षद, पंचगण एवं आसपास के लोगों की उपस्थिति में घर की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान 14 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद किया गया।